

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (प्रा.) लिमिटेड और अन्य

11 जनवरी, 2005

[एस. एन. वरियावा, डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन और एस. एच. कपाडिया, न्यायमूर्तिगण]

आबकारी कानून :

बिहार आबकारी शुल्क अधिनियम, 1915 (1985 के अधिनियम सं. 6 द्वारा यथासंशोधित): धारा 2(12 ए), 5, 13, 19, 38, 39 और 90 - औषधीय अधिनियम के तहत परिभाषित मादक युक्त 'औषधीय और प्रसाधन सामग्री' को धारा 2(12 ए) में 'मादक पदार्थ' शब्द की परिभाषा में शामिल करना - उसके तहत मादक युक्त आयुर्वेदिक औषधीय निर्माण के उपयोग और कब्जे को अनुज्ञप्ति देने और शुल्क के भुगतान पर विनियमित करने की अधिसूचना - वैधता - निर्णय: बिहार अधिनियम और जारी की गई अधिसूचनाएं वैध - बिहार अधिनियम में मादक युक्त औषधीय निर्माणों का उपयोग और कब्जा शामिल है, जो सूची II की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 से संबंधित है - औषधीय अधिनियम में प्रविष्टि 84 सूची I से संबंधित मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाने का प्रावधान है - औषधि अधिनियम सूची III की प्रविष्टि 19 से संबंधित बिक्री के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण को विनियमित करता है - इसलिए, राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियमों के विषय अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं और आपस में टकरा नहीं सकते - कोई आकस्मिक अतिक्रमण नहीं है - बिहार अधिनियम औषधीय अधिनियम और औषधि अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है - इसके अलावा, चूंकि दवा के उपयोग और दुरुपयोग का अनुज्ञप्ति और विनियमन भारी खर्च से जुड़ी एक बड़ी गतिविधि है, राज्य और बोर्ड 1915 के अधिनियम की धारा 5, 19(4), 38, 39 और 90 के तहत अधिसूचना जारी करने में

सक्षम हैं - अधिसूचनाओं ने केंद्रीय अधिनियमों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया - इसके अलावा, लगाया गया शुल्क नियामक प्रकृति का होने के कारण उसके लिए कुछ के बदले कुछ आवश्यक नहीं हैं और यह अनुच्छेद 301 का भी उल्लंघन नहीं करता है - अधिसूचनाओं से यूनानी दवाओं को बाहर करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है - औषधीय और प्रसाधन सामग्री आबकारी शुल्क अधिनियम, 1955 - औषधि अधिनियम, 1940 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 245, 246, 254, 301 अनुसूची G VII सूची । प्रविष्टि 84, सूची II प्रविष्टि 6 और 8, प्रविष्टि 19 सूची II।

बिहार संशोधन अधिनियम संख्या 6, 1985 द्वारा बिहार आबकारी शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 2(12 ए) में 'मादक पदार्थ' शब्द को पुनः परिभाषित किया गया, जिसमें औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 के तहत परिभाषित मादक युक्त "औषधीय और प्रसाधन सामग्री" को शामिल किया गया। इसके बाद, 3 अगस्त, 1988 को अधिसूचना सं. 2/23-3-88/1, 2/23-3-88/2, 2/23-3-88/3 जारी की गई, जिनके द्वारा राज्य के साथ-साथ राजस्व बोर्ड शुल्क के भुगतान पर मादक युक्त आयुर्वेदिक निर्माण के उपयोग और कब्जे को अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने की मांग कर रहा है। आयुर्वेदिक औषधीय निर्माण के निर्माताओं ने बिहार अधिनियम की धारा 2(12 ए)(iv) की संवैधानिक वैधता और राज्य तथा बोर्ड की शक्ति को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल ने बिहार अधिनियम की धारा 2(12 ए) के तहत "औषधीय निर्माण" को "मादक पदार्थ" शब्द के अर्थ में शामिल करने में गलती की, क्योंकि उक्त मद को संविधान द्वारा संसदीय कानून के लिए अलग रखा गया है; कि यह कार्रवाई शक्ति का कपटपूर्ण प्रयोग के समान थी; कि शुल्क का अधिरोपण अनिवार्य रूप से एक आबकारी शुल्क था, इस प्रकार अनुच्छेद 301 का उल्लंघन किया गया; कि आक्षेपित अधिसूचनाओं के संचालन से यूनानी दवाओं का बहिष्कार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था और इसलिए, अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपीलें दायर की गईं।

अपीलों की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. बिहार आबकारी शुल्क अधिनियम, 1915 संवैधानिक रूप से वैध है और आक्षेपित अधिसूचना/संचार सं. 2/23-3-88/1, 2/23-3-88/2, 2/23-3-88/3 दिनांक 3 अगस्त 1988 भी वैध हैं। [359-जी]

2.1. बिहार आबकारी शुल्क अधिनियम, 1915 (1985 के अधिनियम सं. 6 द्वारा यथासंशोधित) की योजना मादक युक्त औषधीय निर्माणों के उपयोग (उपभोग सहित) और कब्जे को मादक पेय के रूप में अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने का प्रयास करती है। 1915 का अधिनियम नशीले पदार्थों के उपयोग, कब्जे, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करता है। यह औषधीय और प्रसाधन सामग्री के उपयोग और कब्जे को मादक पेय के रूप में विनियमित करता है। अधिनियम की धारा 2(12 ए) 'मादक पदार्थ' शब्द को शराब या कोई भी पदार्थ जिससे शराब का आसवन किया जा सकता है, या मादक औषधि या औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 के तहत परिभाषित औषधीय निर्माण के रूप में परिभाषित करती है। यह अनुसूची VII की सूची II में प्रविष्टि 6 (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के साथ पठित प्रविष्टि 8 (मादक शराब) से संबंधित है। [345-ए; 346-डी; 343-सी; 346-डी]

2.2. औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 की योजना मादक, अफीम या किसी अन्य मादक दवाओं वाली औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाने और एकत्र करने का प्रावधान करती है, न कि मादक पेय के रूप में इसके उपयोग और कब्जे पर। 1955 के अधिनियम की धारा 3 मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाने का प्रयास करती है। यह सूची I की प्रविष्टि 84 से संबंधित है जो कराधान से संबंधित है। इसलिए, दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं। [345-एफ; 346-सी-डी]

2.3. वर्तमान मामला मादक युक्त पदार्थों के उपयोग और कब्जे से संबंधित है

जिनका उपयोग मादक पेय के रूप में किया जा सकता है। 1915 का अधिनियम मादक युक्त औषधीय निर्माणों के उपयोग और कब्जे को कवर करता है, जो विषय 1955 के अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया है। इसलिए, संशोधित बिहार अधिनियम का विषय 1955 के अधिनियम के साथ टकराव नहीं कर सकता है। [351-एफ; 352-ए; 346-ई]

अध्यक्षा माथुर बाबू की शक्ति औषधालय ढाका (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर (1963) एससी 622, विशिष्ट।

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य, (1991) सी 4 एससीसी 139; हैदराबाद केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य, एआईआर (1964) एससी 1870; बिहार राज्य और अन्य बनाम इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड और अन्य, (2003) 111 एससीसी 465 और सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1990) 1 एससीसी 109, का संदर्भ दिया गया।

2.4. औषधीय अधिनियम, 1955 मादक युक्त आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण पर शुल्क लगाता है। हालांकि, जब आयुर्वेदिक निर्माण को मादक पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए मोड़ दिया जाता है, तो राज्य को ऐसे उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होगी। यह बिहार अधिनियम, 1915 का विषय है। इसलिए, राज्य अधिनियम सूची II की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 से संबंधित है जो कानून का सामान्य विषय है। औषधीय अधिनियम, 1955 सूची-I की प्रविष्टि 84 से संबंधित है जो कराधान से संबंधित है। इसलिए दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में हैं। बिहार नियमों और आक्षेपित अधिसूचनाओं द्वारा 1955 के औषधीय अधिनियम के प्रावधानों में नियमों के साथ पठित आकस्मिक अतिक्रमण भी नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई अतिक्रमण या आकस्मिक अतिक्रमण होता भी है, तो ऐसा अतिक्रमण कानून बनाने के लिए विधानमंडल की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही इसकी वैधता को प्रभावित करेगा। (353-एफ-

जी; 355-ए-बी; 355-सी)

बिहार डिस्टिलरी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1997) 2 एससीसी 727; वैम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1997) 2 एससीसी 715; हर शंकर और अन्य बनाम उप आबकारी शुल्क और कराधान आयुक्त और अन्य, (1975) 1 एससीसी 737; आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य, (1996) 3 एससीसी 709 और बॉम्बे राज्य बनाम नरोत्तमदास जेठाभाई और एक अन्य, (1951) एससीआर 51, पर अवलंबन किया गया।

दक्षिणी फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल्स, त्रिचुर और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, एआईआर (1981) एससी 1863, का संदर्भ दिया गया।

गलाघर बनाम लिन, (1937) ए.सी. 863, का संदर्भ दिया गया।

अमेरिकन न्यायशास्त्र खंड 30, का संदर्भ दिया गया।

2.5. मादक युक्त एक आयुर्वेदिक औषधीय निर्माण का उपयोग मादक पेय के रूप में किया जा सकता है, जैसे औद्योगिक मादक को मानव उपभोग के लिए मोड़ा जा सकता है। केंद्रीय कानून औद्योगिक मादक के निर्माण को कवर करते हैं, हालांकि, इसके मोड़ को सूची-॥ की प्रविष्टि 6 और 8 के संदर्भ में बनाए गए राज्य कानूनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है। इसी तरह, मादक युक्त औषधीय निर्माणों के निर्माण पर शुल्क उक्त 1955 अधिनियम के तहत आएगा, हालांकि, इसका उपयोग और कब्जा राज्य कानून, जैसे 1915 अधिनियम के तहत आएगा। इसी तरह, एक दवा के रूप में मादक युक्त पदार्थ की बिक्री के लिए निर्माण 1940 अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा, हालांकि, एक मादक पेय के रूप में इसका उपयोग और कब्जा राज्य कानून के तहत आएगा। दवा के उपयोग/दुरुपयोग जैसी गतिविधि का अनुज्ञप्ति और विनियमन भारी व्यय से जुड़ी एक बड़ी गतिविधि है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए यह खुला है कि वह अनुज्ञप्ति के प्रपत्रों, अनुज्ञप्ति शुल्क, खुदरा बिक्री के विनियमन आदि को निर्धारित करने के लिए अपनी कुछ शक्तियों को राजस्व बोर्ड को सौंप

सकती है। 3.8.1988 की आक्षेपित अधिसूचनाओं और संचार का उद्देश्य ऐसे मादक युक्त निर्माणों के उपयोग (उपभोग सहित) और कब्जे की गतिविधि को पेय के रूप में अनुज्ञप्ति देना और विनियमित करना था और इसलिए, राज्य के साथ-साथ बोर्ड आक्षेपित अधिसूचनाएं/संचार जारी करने में सक्षम था और वे 1915 के अधिनियम की धारा 5, 19(4), 38, 39 और 90 के दायरे में आते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि आक्षेपित अधिसूचनाएं/संचार 1940 अधिनियम और 1955 अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर अतिक्रमण कर चुके थे। (355-ई-एच; 356-ए-बी)

2.6. औषधि अधिनियम, 1940 दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करता है। इसके प्रावधानों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि जब तक आयुर्वेदिक या यूनानी दवा का उपयोग रोगों के निदान/उपचार/शमन या रोकथाम के लिए एक दवा के रूप में किया जाता है, तब तक गतिविधि उक्त अधिनियम के दायरे में आती है। हालांकि, औषधि अधिनियम, 1940, औषधीय अधिनियम, 1955 की तरह, दवाओं को मानव उपभोग के लिए मादक पेय के रूप में मोड़ने से संबंधित नहीं है, जिस विषय पर बिहार अधिनियम, 1915 द्वारा निपटा जाता है, जो शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति जारी करके ऐसे उपयोग, कब्जे और उपभोग को विनियमित करता है। इसलिए, राज्य और बोर्ड आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी करने में सक्षम थे। [356-एच; 357-ए-बी]

3. राज्य मादक युक्त आयुर्वेदिक निर्माणों के उपयोग और कब्जे के संबंध में एक कानून बनाने में सक्षम था, जिन्हें मादक पेय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी गतिविधि के विनियमन और नियंत्रण के हिस्से के रूप में, राज्य निर्माताओं से शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कह सकता था। राज्य को ऐसी गतिविधियों के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित खर्च वहन करने पड़ते हैं। इसलिए, आक्षेपित अधिसूचना के तहत निर्माताओं द्वारा देय और भुगतान योग्य शुल्क नियामक शुल्क की प्रकृति में है,

जिसके लिए कुछ के बदले कुछ आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, शुल्क की दर उचित और सही पाई गई। आगे, अधिसूचनाओं के तहत लगाया गया शुल्क नियामक प्रकृति का होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं है।

[357-एफ-एच; 358-ई]

वैम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1997) 2 एससीसी 715; *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सीतापुर पैकिंग वुड सप्लायर्स और अन्य*, (2002) 4 एससीसी 566 और *कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम मेसर्स हंसा कॉर्पोरेशन*, (1980) 4 एससीसी 697, पर अवलंबन किया गया।

4. जबकि अनुच्छेद 14, वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, यह विधान के उद्देश्यों के लिए उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। विधानमंडल हानि की सीमा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकता है जहाँ आवश्यकता सबसे स्पष्ट मानी जाती है। सुधार के लिए एक बार में एक कदम उठाना भी स्वीकार्य है। वर्तमान मामले में, एक प्रयोग के तौर पर, पहली बार में मादक युक्त आयुर्वेदिक दवाओं को अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है। [359-ए, बी-सी]

गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्य, (1974) 4 एससीसी 656 और *नगर निगम, अहमदाबाद शहर और अन्य बनाम जन मोहम्मद उस्मानभाई और एक अन्य*, (1986) 3 एससीसी 20, पर भरोसा किया गया।

5. सूची-II की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 के संदर्भ में, बिहार विधानमंडल 1915 के अधिनियम को संशोधित करने के लिए सक्षम था, यह नहीं कहा जा सकता कि बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2(12ए) शक्ति का रंगीन अभ्यास थी। [359-सी-डी]

6. राज्य को एक अवधि निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है जिसके भीतर निर्माता 3 अगस्त की अधिसूचनाओं/संचार संख्या 2/23-3-88/1, 2/23-3-88/2, 2/23-3-88/3 के अनुसार शुल्क (बकाया सहित) के भुगतान पर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे, जिस दौरान उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। (359-डी-ई)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1999 की दीवानी अपील सं. 1543-1547

1998 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7865, 7191, 7219, 8294 और 7864, में, पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 23.10.89 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध।

दिनेश द्विवेदी, कुमार राजेश सिंह, बी.बी. सिंह के लिए रजनीश प्रसाद, अपीलकर्ताओं के लिए।

वी.ए. मोहता, ए.के. संधी, नीलकंठ नायक, सुश्री गौरी गुप्ता उत्तरदाता सं. 2 और 4 के लिए।

आर.पी. वधवानी के लिए विवेक सूद उत्तरदाता सं. 1 के लिए।

न्यायालय का निर्णय

कपाडिया, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया। विशेष अनुमति प्रदान किए जाने के माध्यम से की गई इन अपीलों में मुख्य प्रश्न बिहार संशोधन अधिनियम संख्या 6, 1985 द्वारा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 के तहत यथापरिभाषित अल्कोहल युक्त "औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों" को शामिल करके, बिहार आबकारी अधिनियम, 1915 (इसके बाद संक्षेप में "बिहार अधिनियम, 1915" के रूप में संदर्भित) की धारा 2(12 ए) में "मादक पदार्थ" शब्द को पुनः परिभाषित करने में राज्य विधानमंडल की विधायी सक्षमता से संबंधित है।

कुछ आयुर्वेदिक औषधीय निर्माणों के निर्माताओं, जिनमें मृतसंजीवनी सुरा और मृतसंजीवनी सुधा शामिल हैं, ने बिहार अधिनियम, 1915 (यथासंशोधित) की धारा 2(12 ए) (iv) की वैधता और संवैधानिकता के साथ-साथ राज्य सरकार और राजस्व बोर्ड की उपर्युक्त

निर्माणों के उपयोग और कब्जे को अधिसूचनाओं/संचार सं. 2/23-3-88/1, 2/23-3-88/2 और 2/23-3-88/3 सभी दिनांक 3 अगस्त, 1988 के माध्यम से अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने की शक्ति को चुनौती दी।

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का मुख्य आधार यह था कि औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "औषधीय अधिनियम, 1955" कहा गया) के अधिनियमन के बाद बिहार अधिनियम, 1915 के तहत मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री के निर्माण पर शुल्क लगाने के लिए राज्य विधानमंडल के पास कोई क्षमता नहीं थी, जो अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84 से संबंधित है और परिणामस्वरूप, राज्य सरकार और राजस्व बोर्ड के पास ऐसे निर्माणों के निर्माण को अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं था। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (संक्षेप में "औषधि अधिनियम, 1940" कहा गया) के प्रावधानों पर भी भरोसा किया गया, जिसे दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। निर्माताओं का तर्क था कि संशोधित बिहार अधिनियम, 1915, औषधि अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के प्रतिकूल था। संक्षेप में, निर्माताओं के अनुसार, संपूर्ण क्षेत्र केंद्रीय अधिनियमों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और इसलिए संशोधित बिहार अधिनियम, 1915, औषधि अधिनियम, 1940 के साथ-साथ औषधीय अधिनियम, 1955 के प्रतिकूल था।

संविधान के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ बिहार अधिनियम, 1915 की योजना पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य विधानमंडल ने 1985 के अधिनियम सं. 6 में संशोधन करके बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2 (12 ए) के तहत "मादक पदार्थ" शब्द के अर्थ के भीतर "औषधीय तैयारी" को शामिल करने में गलत था, क्योंकि उक्त वस्तु को संसदीय विधान के लिए संविधान द्वारा अलग रखा गया है; कि राज्य विधानमंडल द्वारा यह अभ्यास शक्ति का कपटपूर्ण प्रयोग के बराबर है, जिससे बचा

जा सकता था; कि औषधीय और प्रसाधन संबंधी तैयारी औषधीय अधिनियम, 1955 के तहत करें और शुल्कों के अधीन है और इसलिए, इन उत्पादों को दोहरे कराधान के अधीन नहीं किया जा सकता है, एक केंद्र सरकार द्वारा औषधीय अधिनियम, 1955 के तहत और अन्य बिहार अधिनियम, 1915 के तहत। उच्च न्यायालय के अनुसार, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत शुल्क का उद्ग्रहण एक आबकारी शुल्क था, जो संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है, जो भारत के पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार, वाणिज्य और संभोग की गारंटी देता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि, राज्य आक्षेपित अधिसूचनाओं के संचालन से यूनानी दवाओं को बाहर रखने के लिए परोसे जाने वाले उद्देश्यों के साथ स्पष्ट संबंध के साथ कोई बोधगम्य अंतर दिखाने में विफल रहा है और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आक्षेपित अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 के भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी थीं। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने कहा कि, आक्षेपित अधिसूचनाएं कानून के अधिकार के बिना जारी की गई थीं और वे मनमानेपन और भेदभाव से पीड़ित थीं। तदनुसार, आक्षेपित अधिसूचनाओं/संचारों को असंवैधानिक, अवैध, अनुचित और मनमाने ढंग से अपास्त कर दिया गया था। इसलिए, ये दीवानी अपीलें हैं।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी ने *अन्य बातों के साथ-साथ* यह दलील दिया है कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 के संबंध में एक विधि अधिनियमित करने की अनन्य शक्ति है, जो किसी भी प्रकार से प्रविष्टि 84 या सूची-1 में किसी अन्य प्रविष्टि को बाधित नहीं करती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब भी विधायी क्षमता का प्रश्न उठाया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा बार-बार बताए गए तथ्य और सार के सिद्धांत को लागू करते हुए मामले की जांच की जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संघ के लिए आरक्षित क्षेत्र पर आकस्मिक खाई को निर्धारित

क्षेत्र से परे यात्रा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1985 का संशोधन अधिनियम सं. 6, जिसके द्वारा बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2 (12 ए) के अंतर्गत मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन बनाने को लाया गया है, औषधीय अधिनियम, 1955 और न ही औषधि अधिनियम, 1940 को प्रभावित करता है, क्योंकि 1985 के उक्त संशोधन अधिनियम सं. 6 द्वारा, राज्य विधानमंडल ने राज्य के भीतर मादक पेय के रूप में औषधीय बनाने के उपयोग, रखने और सेवन को अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने की मांग की है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत, राज्य के साथ-साथ राजस्व बोर्ड शराब युक्त आयुर्वेदिक व्यंजनों के उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए भुगतान करने वालों पर निर्माताओं द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप, ऐसा शुल्क नियामक प्रकृति का है और संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं कर सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि राज्य चरण-दर-चरण आगे बढ़ने का हकदार है; कि स्थापना में, राज्य ने मादक पेय के रूप में औषधीय तैयारी के उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया है और पहले कदम के रूप में, राज्य ने आयुर्वेदिक दवाओं को कवर करने का प्रयास किया है। इसलिए, यह "वर्गीकरण के तहत" का मामला है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियामक शुल्क कुछ के बदले कुछ के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप, इस तरह का शुल्क संविधान के अनुच्छेद 301 द्वारा प्रभावित नहीं होता है।

हमारा ध्यान अधिसूचना सं. 2/23-3-88/1 दिनांक 3.8.1988 की ओर आकर्षित किया गया था, जो थोक में औषधीय तैयारी के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के लेवी को संदर्भित करता है। 3000 और खुदरा बिक्री के लिए रु. 1000, और आसवन द्वारा तैयार शराब युक्त औषधीय तैयारी की खुदरा बिक्री के लिए, रु.1000 का शुल्क अग्रिम रूप से देय

है। निर्माताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि उक्त आक्षेपित अधिसूचना में शराब के साथ या उसके बिना सभी प्रकार की औषधीय तैयारी के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित अधिसूचना औषधीय अधिनियम, 1955 द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर आक्षेप करती है जो प्रविष्टि 84 सूची-1 के लिए संदर्भित है। निर्देशों पर, राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी ने हमारे सामने कहा कि शराब युक्त औषधीय व्यंजनों की बिक्री के लिए शुल्क लिया जाएगा और वसूला जाएगा और उन औषधीय व्यंजनों की बिक्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा और वसूल किया जाएगा जिनमें शराब नहीं है। यह स्पष्टीकरण हमारे निर्णय का हिस्सा होगा।

श्री वी.ए. मोहता, उत्तरदाता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि 1985 का संशोधन अधिनियम सं. 6 जहां तक इसमें बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2 (12 ए) में शराब युक्त औषधीय और प्रसाधन की तैयारी शामिल है, बिहार विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि औषधीय अधिनियम, 1955 और औषधि अधिनियम, 1940 के अधिनियमन के आधार पर, दोनों केंद्रीय कानून होने के कारण, राज्य विधानमंडल को आयुर्वेदिक औषधीय दवाओं और दवाओं के निर्माण का अनुज्ञप्ति और विनियमन करने की अपनी शक्तियों से वंचित किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत ली जाने वाली फीस, वास्तव में, कर के बराबर है। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा शुल्क या कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह क्षेत्र संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84 से संबंधित औषधीय अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है। विद्वान अधिवक्ता ने अनुच्छेद 246 के खंड (1) (2) और (3) पर जोर दिया और प्रस्तुत किया कि सूची-11 में मामलों के संदर्भ में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 246 (3) अनुच्छेद 246 (1) और अनुच्छेद 246 (2) के तहत संसद की शक्ति के अधीन है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार जब संसद ने

औषधीय अधिनियम, 1955 को अधिनियमित कर दिया और उसमें औषधीय और प्रसाधन की तैयारी के निर्माण का अनुज्ञप्ति और विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति को शामिल कर लिया, तो यह माना जाना चाहिए कि संसद ने प्रविष्टि 84 सूची-1 के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा व्यक्त किया था। यदि ऐसा है, तो राज्य विधानमंडल को उक्त 1955 अधिनियम के लागू होने के बाद औषधीय और प्रसाधन की तैयारी के संबंध में कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि औषधीय और प्रसाधन की तैयारी को उक्त 1915 अधिनियम की धारा 2 (12 ए) के दायरे में लाने की पूरी कवायद शक्ति के स्रोत को बदलने के लिए थी। उन्होंने कहा कि 1955 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद, प्रविष्टि 84 सूची-1 के संदर्भ में, राज्य विधानमंडल को औषधीय दवाओं की तैयारी और निर्माण को विनियमित करने वाली कानून बनाने की अपनी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया था और औषधीय और प्रसाधन की तैयारी को धारा 2(12 ए) के भीतर लाकर राज्य विधानमंडल औषधीय और प्रसाधन की तैयारी के निर्माण पर कर लगाने के लिए संसद की शक्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है, जो प्रविष्टि 84 सूची-1 के संदर्भ में है। इसलिए, यह राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति के रंगीन प्रयोग का मामला है, जो संविधान की योजना के खिलाफ है। श्री मोहता का अगला निवेदन था कि राज्य कानून और आक्षेपित अधिसूचनाएं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं क्योंकि वे यूनानी दवाओं को विनियमित और नियंत्रित नहीं करती हैं; कि यूनानी दवाओं को नहीं बल्कि केवल आयुर्वेदिक औषधीय तैयारी को विनियमित करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है और 1915 के अधिनियम में संशोधन के बाद भी, अन्य दवाओं के कई वर्ग 1915 के अधिनियम के नियामक प्रावधानों से बाहर हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यूनानी दवाओं को विनियमित नहीं करके, अधिनियम और अधिसूचनाओं ने एक अदृश्य अंतर लाया है जो अनुच्छेद 14 में समानता खंड का निषेध है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कुछ के बदले कुछ के अभाव में आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत औषधीय तैयारी पर लगाया गया शुल्क

शुल्क या कर का गठन करता है और परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है। उपरोक्त कारणों से, इन दीवानी अपीलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

बिहार अधिनियम की योजना, जैसा कि प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, यह है कि यह बिहार राज्य में नशीले शराब और सभी नशीले पदार्थों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और कब्जे से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। धारा 2(6) "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" को मानव उपभोग के लिए मादक शराब या कोई भी नशीली दवा के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2(6ए) "आबकारी शुल्क" को सूची-॥ की प्रविष्टि 51 में उल्लिखित ऐसे आबकारी शुल्क के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2(10) "निर्यात" शब्द को केंद्रीय सरकार द्वारा परिभाषित सीमा शुल्क सीमा के अलावा बिहार राज्य से बाहर ले जाने के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2(12 ए) "मादक पदार्थ" शब्द को किसी भी शराब या किसी भी पदार्थ से जिससे शराब आसवित की जाती है या औषधीय अधिनियम, 1955 के तहत परिभाषित नशीली दवा या औषधीय तैयारी के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2(13) "नशीली दवाएं" को चरस, भांग, गांजा और किसी भी अन्य नशीले या मादक पदार्थ के रूप में परिभाषित करती है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नशीली दवा घोषित कर सकती है। धारा 2(14) "शराब" को मादक युक्त सभी तरल पदार्थों और किसी भी अन्य पदार्थ को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शराब घोषित कर सकती है, शामिल करने के लिए परिभाषित करती है। धारा 2(15) "निर्माण" शब्द को हर उस प्रक्रिया को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है जिससे कोई मादक पदार्थ उत्पादित या तैयार किया जाता है और सुधार, मिश्रण या रंग भरने के लिए हर प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में, "निर्माण" शब्द को ऐसे परिवर्तन का अर्थ देने के लिए परिभाषित किया गया है जो उपयोग के लिए एक विशिष्ट नाम और चरित्र के साथ एक नया और अलग लेख सामने लाता है। धारा 2(19) "स्पिरिट" शब्द को आसवन द्वारा प्राप्त मादक

युक्त किसी भी शराब के रूप में परिभाषित करती है। धारा 5 के तहत, राजस्व बोर्ड को अधिसूचना जारी करके किसी भी नशीले पदार्थ की खुदरा बिक्री की सीमाओं को घोषित करने का अधिकार है। अध्याय III नशीले पदार्थों के आयात, निर्यात और परिवहन से संबंधित है। अध्याय IV नशीले पदार्थों के निर्माण, कब्जे और बिक्री से संबंधित है। धारा 13(ए) के तहत, समाहर्ता द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधिकार के तहत और निबंधन और शर्तों के अधीन, कोई भी मादक पदार्थ निर्मित नहीं किया जाएगा। धारा 18 *अन्य बातों के साथ* प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नशीले पदार्थ को तब तक अपने कब्जे में नहीं रखेगा जब तक कि उसे किसी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त न किया गया हो। धारा 19(1) के तहत, कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी नशीले पदार्थ के निर्माण, खेती, संग्रह या बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति नहीं है, धारा 5 के तहत बोर्ड द्वारा खुदरा बिक्री की सीमा घोषित मात्रा से अधिक किसी भी नशीले पदार्थ को अपने कब्जे में नहीं रखेगा। धारा 19(4) के तहत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा नशीले पदार्थों के कब्जे, उपभोग या दोनों को निषिद्ध कर सकती है, यदि कोई अपवाद अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। धारा 20 के तहत, किसी भी नशीले पदार्थ को तब तक निर्मित या उत्पादित नहीं किया जा सकता है या बेचा नहीं जा सकता है जब तक कि उस संबंध में समाहर्ता द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधिकार के तहत और अधीन न हो। धारा 22 देशी शराब या नशीली दवाओं या किसी अन्य नशीले पदार्थ के निर्माण और बिक्री का विशेष विशेषाधिकार देने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, राज्य अधिनियम की धारा 22 के तहत देशी शराब या नशीली दवाओं या किसी अन्य नशीले पदार्थ के संबंध में विशेष विशेषाधिकार देने के लिए भुगतान के रूप में शुल्क लगा सकता है। धारा 27 के तहत, राज्य को राज्य में आयातित किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर या राज्य से निर्यात की गई किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर या राज्य के भीतर परिवहन की गई किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर या अधिनियम की धारा 13 के तहत दी गई अनुज्ञप्ति के तहत निर्मित किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु

पर या अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी भी आसवनी या शराब की भठ्ठी में निर्मित किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर आबकारी शुल्क लगाने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 30 के तहत, समाहर्ता को अगली बस्ती अवधि के दौरान उपयोग के लिए स्पिरिट की खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तावित अनुज्ञप्तियों को दर्शाने वाली एक सूची तैयार करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 38 के तहत, अधिनियम के तहत दी गई हर अनुज्ञप्ति, अनुमति या पास का भुगतान फीस के भुगतान पर और बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन किया जाएगा। अनुज्ञप्ति का प्रपत्र ऐसे प्रपत्र में जारी किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ होंगी जो बोर्ड निर्देशित कर सकता है। अनुज्ञप्ति/अनुमति या पास ऐसी अवधि के लिए दी जाएगी, जो धारा 89(ई) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है। धारा 56 किसी रसायनज्ञ, औषधिविक्रेता या औषधालय के अभिरक्षक से संबंधित किसी भी दुकान में धारा 2(12 ए) के तहत परिभाषित किसी भी नशीले पदार्थ के उपभोग के लिए जुर्माना निर्धारित करती है। धारा 58 किसी अन्य व्यक्ति के लेखा पर एक व्यक्ति द्वारा किसी भी नशीले पदार्थ के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण या बिक्री के लिए जुर्माना निर्धारित करती है। धारा 66 नशे के लिए दायित्व को संदर्भित करती है। धारा 89 बिहार अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति को संदर्भित करती है। धारा 89(2) राज्य सरकार को किसी भी नशीले पदार्थ के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। यह राज्य सरकार को धारा 89(2)(एफ) के तहत किसी भी स्थान पर या किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी नशीले पदार्थ की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति देने पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार देती है। धारा 90, राजस्व बोर्ड को किसी भी नशीले पदार्थ के निर्माण, आपूर्ति या भंडारण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 90(7) के तहत, बोर्ड को धारा 22 के तहत दिए गए किसी भी विशेषाधिकार के संबंध में या अधिनियम के तहत दी गई किसी भी अनुज्ञप्ति, अनुमति

या पास के जारी करने के संबंध में फीस निर्धारित करने का अधिकार है। धारा 90(9) के तहत, बोर्ड को उन प्रतिबंधों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है जिनके तहत अनुज्ञप्ति या अनुमति दी जा सकती है, किसी भी नशीले पदार्थ के साथ मिश्रण को निषिद्ध करना। यह राजस्व बोर्ड को नशीले पदार्थों की तैयारी में एक अनुज्ञप्तिधारी निर्माता द्वारा शराब की मात्रा को निषिद्ध करने का भी अधिकार देता है। यह बोर्ड को फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण को विनियमित करने का भी अधिकार देता है। इसी तरह, बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 90 के तहत, बोर्ड ने नियम बनाए हैं, जिन्हें बिहार आबकारी शुल्क नियम, 1919 के रूप में जाना जाता है। ये नियम मिश्रण, आसवनियों की अनुज्ञप्ति, गोदामों को दी गई अनुज्ञप्तियों, पीने योग्य विदेशी शराबों के मिश्रण, शराब की भठ्ठियों की अनुज्ञप्ति, भारतीय औषधीय शराब के निर्माण आदि को संदर्भित करते हैं।

संशोधित बिहार अधिनियम, 1915 की योजना को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम मादक पेय के रूप में मादक युक्त औषधीय तैयारियों के उपयोग (उपभोग सहित) और कब्जे को अनुज्ञप्ति और विनियमित करने का प्रयास करता है। उक्त 1915 अधिनियम, जैसा कि संशोधित किया गया है, वहां से आगे कार्य करता है जहां 1955 अधिनियम या 1940 अधिनियम समाप्त होते हैं।

हालांकि, यह सुझाव दिया गया था कि बिहार अधिनियम के प्रावधान औषधीय अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के साथ टकराव में हैं, इसलिए, हम इसके प्रावधानों की जांच कर सकते हैं।

औषधीय अधिनियम, 1955 का विधायी इतिहास अच्छी तरह से ज्ञात है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 40 सूची-II के तहत, मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री को प्रांतीय आबकारी शुल्क के अधीन किया गया था। संविधान के तहत, मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क से संबंधित प्रविष्टि को संघ सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संसद ने तदनुसार मादक युक्त

औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाने और एकत्र करने का प्रावधान करने के लिए औषधीय अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया। उक्त अधिनियम, 1955 संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84 से संबंधित है, जो निम्नानुसार पढ़ी जाती है:

"भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर आबकारी शुल्क, सिवाय -

(ए) मानव उपभोग के लिए मादक शराब;

(बी) अफीम, भारतीय भांग और अन्य मादक दवाएं और मादक पदार्थ, लेकिन इसमें मादक या इस प्रविष्टि के उप-कंडिका (बी) में शामिल किसी भी पदार्थ वाली औषधीय और प्रसाधन सामग्री शामिल है।"

इसलिए, केंद्रीय अधिनियम की योजना मादक, अफीम या किसी अन्य मादक दवाओं वाली औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाने और एकत्र करने का प्रावधान करना है। धारा 2 परिभाषा खंड है और "शुल्क योग्य माल" अभिव्यक्ति को धारा 2(सी) में अनुसूची में निर्दिष्ट औषधीय और प्रसाधन सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। "औषधीय तैयारी" अभिव्यक्ति को धारा 2(जी) में मानव के आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए बनाई गई एक पर्ची वाली सभी दवाओं सहित परिभाषित किया गया है। धारा 3 शुल्क अधिरोपण खंड है, जो भारत में निर्मित सभी शुल्क योग्य माल पर आबकारी शुल्क लगाता है। यह उक्त शुल्कों के संग्रह की विधि भी निर्धारित करता है। धारा 6 किसी भी व्यक्ति को अधिनियम में दी गई अनुज्ञप्ति के बिना और अधिकार के बिना किसी भी शुल्क योग्य माल के उत्पादन या निर्माण में शामिल होने से प्रतिबंधित करती है। धारा 19 अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देती है। धारा 19(1) के तहत, केंद्र सरकार ने केंद्रीय नियम बनाए हैं जो तैयारियों पर शुल्क संग्रह के लिए एक मशीनरी प्रदान करने के अंतिम उद्देश्य के साथ औषधीय तैयारियों के निर्माण और उत्पादन से संबंधित हैं। नियमों का नियम 18 प्रावधान करता है कि परिशोधित स्प्रिट एक

राज्य की आसवनी से एक निर्माता को आपूर्ति की जाएगी। नियम 21 प्रावधान करता है कि मादक युक्त औषधीय तैयारियों के निर्माण के लिए परिशोधित स्पिरिट जारी की जाएगी। नियम 33 मादक की शक्ति निर्धारित करने के लिए विश्लेषण हेतु निर्मित उत्पाद का नमूना लेने का प्रावधान करता है। ये नियम औषधीय अधिनियम, 1955 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं, अर्थात् मादक युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाना और एकत्र करना।

सूची-1 की प्रविष्टि 84 से संबंधित औषधीय अधिनियम, 1955 की योजना को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उक्त 1955 अधिनियम का शुल्क अधिरोपण खंड 3 मादक युक्त औषधीय तैयारियों पर आबकारी शुल्क लगाने का प्रयास करता है न कि मादक पेय के रूप में इसके उपयोग और कब्जे पर, जिससे उक्त 1915 अधिनियम संबंधित है, जो सूची-11 की प्रविष्टि 6 के साथ पढ़ी गई प्रविष्टि 8 से संबंधित है। इसलिए, दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं। उक्त 1915 अधिनियम नशीले पदार्थों के उपयोग, कब्जे, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करता है। यह मादक पेय के रूप में औषधीय और प्रसाधन सामग्री के उपयोग और कब्जे को विनियमित करता है। मृतसंजीवनी सुरा में, मादक का स्तर, हालांकि स्वयं उत्पन्न होता है, इतना अधिक होता है कि इसे मादक पेय के रूप में सेवन किया जा सकता है। इसलिए, आक्षेपित राज्य कानून का विषय 1955 अधिनियम के साथ टकराव नहीं कर सकता है। मादक पेय के रूप में मादक युक्त औषधीय तैयारी के उपयोग और नियंत्रण को विनियमित करने की राज्य की शक्ति संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-11 की प्रविष्टि 6 (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के साथ-साथ प्रविष्टि 8 (मादक शराब) के अंतर्गत आती है, जबकि 1955 अधिनियम सूची-1 की प्रविष्टि 84 से संबंधित है जो कराधान से संबंधित है। आक्षेपित अधिसूचनाओं और दिनांक 3.8.1988 के पत्राचारों का उद्देश्य पेय के रूप में मादक युक्त ऐसी तैयारियों के उपयोग (उपभोग सहित) और कब्जे की गतिविधि को फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति और विनियमित करना है और इसलिए, वे 1915 अधिनियम

की धारा 5, 19(4), 38, 39 और धारा 90 के दायरे में आते हैं।

निर्माताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि उक्त 1915 अधिनियम (यथासंशोधित) औषधि अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के साथ विरोधाभास में है। इसलिए, हमें औषधिअधिनियम, 1940 की योजना की जांच करने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम, 1940 दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम 10.4.1940 को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 103 के संदर्भ में सभी प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था। धारा 2 के तहत, यह कहा गया है कि औषधिअधिनियम के प्रावधान खतरनाक औषधिअधिनियम, 1930 और उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में। धारा 3(ए) "आयुर्वेदिक या यूनानी दवा" को उन सभी दवाओं को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है जो निदान, उपचार, शमन या रोगों की रोकथाम के लिए अभिप्रेत हैं और जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों वाली आधिकारिक पुस्तकों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार विशेष रूप से निर्मित की जाती हैं। धारा 3(बी) "एक दवा" को सभी दवाओं और किसी भी बीमारी के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थों को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है। अध्याय-III दवाओं के आयात से संबंधित है। अध्याय IV ए आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं से संबंधित प्रावधान बनाता है। धारा 33 ई, 33 ईई और 33 ईईए उन आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को संदर्भित करती हैं जिन्हें क्रमशः मिथ्याछाप, मिलावटी और नकली माना जाएगा। धारा 33 ईईबी के तहत, कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानकों के अनुसार किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवा का बिक्री या वितरण के लिए निर्माण नहीं करेगा। धारा 33 ईईसी कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 33-आई अध्याय IV ए के उल्लंघन में किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवा के निर्माण, बिक्री या वितरण के लिए दंड अधिरोपित करती है।

औषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का नियम 153 किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवा के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन से संबंधित है। नियम 158 ऐसी दवाओं के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की शर्तें प्रदान करता है। नियमों में, जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का संबंध है, 1915 अधिनियम के तहत आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग और कब्जे के अनुज्ञप्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। औषधि अधिनियम के तहत नियम केवल बिक्री के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण को विनियमित करते हैं, न कि उपभोग, उपयोग या कब्जे के लिए।

औषधि अधिनियम के प्रावधानों को नियमों के साथ पढ़ने पर, हम पाते हैं कि यह अधिनियम शराब युक्त आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग तक सीमित है, जो निदान, उपचार, शमन या बीमारी की रोकथाम के लिए हैं, न कि मादक पेय के रूप में इसके उपयोग के लिए। नियमों के तहत, केवल बिक्री के लिए आयुर्वेदिक दवा का निर्माण विनियमित किया जाता है। इन दवाओं के मादक पेय के रूप में उपयोग को विनियमित करने वाला नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। औषधि अधिनियम का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता को दवाओं के रूप में बनाए रखना है। उपभोक्ता के हाथों में किसी अन्य वस्तु के रूप में इसके उपयोग को विनियमित नहीं किया जाता है। इसलिए, औषधि अधिनियम सूची-III की प्रविष्टि 19 से संबंधित है, जो अफीम से संबंधित सूची-I की प्रविष्टि 59 के अधीन, दवाओं और जहरों से संबंधित है। अंत में, उक्त अधिनियम बिक्री और वितरण के लिए दवा के रूप में दवा के निर्माण को विनियमित करता है। यदि कोई दवा विक्रेता दवा को काउंटर पर बेचता है, तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। उसका अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया जा सकता। उसने दवा को मादक पेय में परिवर्तित नहीं किया है, जो गतिविधि एक उपभोक्ता द्वारा की जा सकती है। उपभोक्ता रसायनज्ञ से दवा खरीदने के बाद उसका दुरुपयोग या दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी गतिविधि बिहार अधिनियम, 1915, यथासंशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत आती है न कि औषधि अधिनियम, 1940 के तहत।

हमारे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा दी गई तर्कों की सराहना करने के लिए, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूचियों में संबंधित प्रविष्टियों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सूची-I: संघ सूची

"प्रविष्टि 84: भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य सामानों पर आबकारी शुल्क, सिवाय -

(ए) मानव उपभोग के लिए मादक शराब;

(बी) अफीम, भारतीय भांग और अन्य मादक दवाएं और मादक पदार्थ, लेकिन इसमें शराब या इस प्रविष्टि के उप-कंडिका (बी) में शामिल किसी भी पदार्थ युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री की तैयारी शामिल है।

सूची-II: राज्य सूची

प्रविष्टि 6. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय।

प्रविष्टि 8. मादक शराब, अर्थात् मादक शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री।

सूची-III: समवर्ती सूची

प्रविष्टि 19. अफीम के संबंध में सूची-I की प्रविष्टि 59 के प्रावधानों के अधीन, दवाएं और जहर।"

इन अपीलों में संवैधानिक महत्व का एक प्रश्न उठता है, यानी, क्या राज्य विधानमंडल औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित मद्य युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री की तैयारियों को बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2 (12 ए) में "मादक पदार्थ" शब्द की परिभाषा में शामिल करने में सक्षम था, जैसा कि अधिनियम सं. 6, 1985 द्वारा संशोधित किया गया था।

संविधान का भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। इस भाग में अध्याय-I का शीर्षक "विधायी संबंध: विधायी शक्तियों का वितरण" है। अनुच्छेद 245 का खंड (1) घोषित करता है कि "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और एक राज्य का विधानमंडल राज्य के संपूर्ण या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है।" अनुच्छेद 246 का खंड (1) घोषित करता है कि "खंड (2) और (3) में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद के पास सातवीं अनुसूची में सूची-I में (जिसे इस संविधान में 'संघ सूची' कहा गया है) प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।" अनुच्छेद 246 का खंड (2) घोषित करता है कि "खंड (3) में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास भी सातवीं अनुसूची में सूची-II में (जिसे इस संविधान में 'समवर्ती सूची' कहा गया है) प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।" अनुच्छेद 246 का खंड (3) फिर घोषित करता है कि "खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सातवीं अनुसूची में सूची-III में (जिसे इस संविधान में 'राज्य सूची' कहा गया है) प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।" खंड (4) कहता है कि "संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए, जो एक राज्य में शामिल नहीं है, किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में प्रगणित मामला हो।" अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्ति संघ में निहित करता है। अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 250 संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। अनुच्छेद 251 कहता है कि अनुच्छेद 249 और 250 के प्रावधान विधानमंडल की किसी भी कानून को बनाने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं जिसे

बनाने में वह सक्षम है, लेकिन यदि ऐसा कानून उक्त अनुच्छेदों के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून केवल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 252 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का अधिकार देता है। यह अन्य राज्यों द्वारा ऐसे कानून को अपनाने का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 254 घोषित करता है कि यदि समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के साथ असंगत है, चाहे वह राज्य अधिनियमन से पहले बनाया गया हो या बाद में, तो राज्य अधिनियमन असंगति की सीमा तक शून्य होगा। हालांकि, यदि राज्य अधिनियमन राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो ऐसा कानून उस राज्य में संसदीय अधिनियमन के साथ इसकी असंगति के बावजूद प्रभावी होगा।

अध्यक्ष माथुर बाबू की शक्ति औषधालय ढाका (प्रा.) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में, एआईआर (1963) एससी 622 में सूचित किया गया है, निर्धारण के लिए उठे प्रश्नों में से एक यह था कि क्या मृत्संजीवनी सुरा उक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 के तहत औषधीय तैयारी थी। मृत्संजीवनी सुरा और मृत्संजीवनी सुधा को औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) नियम, 1956 से जुड़ी अनुसूची में उल्लिखित किया गया था। रासायनिक परीक्षक के हलफनामे पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त दोनों तैयारियों में 42 प्रतिशत मद्य था। इस न्यायालय ने आगे पाया कि उपरोक्त तैयारियाँ औषधीय तैयारियाँ थीं, हालांकि, वे सामान्य मादक पेय के रूप में भी उपयोग किए जाने में सक्षम थीं। इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1960 के बाद, उपरोक्त तैयारियों को अनुसूची से हटा दिया गया है। संपूर्ण मामले पर विचार करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

चूंकि उपरोक्त दोनों तैयारियाँ उक्त 1955 अधिनियम के तहत औषधीय तैयारियाँ थीं, इसलिए केंद्र सरकार उनके निर्माण पर आबकारी शुल्क लगाने की हकदार थी। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उक्त निर्णय उपरोक्त दोनों पदार्थों के उपयोग और कब्जे से संबंधित नहीं था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दोनों पदार्थ मादक पेय के रूप में उपयोग किए जाने में सक्षम थे। इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र प्रश्न उक्त 1955 अधिनियम के तहत इन दो पदार्थों पर आबकारी शुल्क लगाने के संबंध में था। उक्त निर्णय राज्य विधानमंडल की इन दो पदार्थों के उपयोग और कब्जे को मादक पेय के रूप में विनियमित करने के लिए कानून बनाने की सक्षमता के प्रश्न से संबंधित नहीं था। यह कहना पर्याप्त है कि, ये दोनों पदार्थ न केवल औषधीय तैयारियाँ थीं, बल्कि वे मादक पेय के रूप में भी उपयोग किए जाने में सक्षम थीं। इसलिए, उक्त मामले में उपरोक्त पदार्थों के वितरण और आपूर्ति का विनियमन विचाराधीन नहीं था।

उत्तर प्रदेश राज्य एक अन्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य, [1991] 4 एससीसी 139 में सूचित किए गए मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि विनियमन और नियंत्रण की शक्ति कराधान की शक्ति से अलग और विशिष्ट है। सूची- ॥ की प्रविष्टि 8 के संदर्भ में विनियमन या नियंत्रण का विधायी प्रयोग, सूची- । में प्रविष्टि 84 के तहत कराधान शक्ति से भिन्न और अलग है। केंद्र सरकार द्वारा कर लगाने का विधायी क्षेत्र सातवीं अनुसूची की सूची- । में प्रविष्टियाँ 82 से 91 तक निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य द्वारा कर लगाने का विधायी क्षेत्र सूची- ॥ में प्रविष्टियाँ 45 से 63 तक निर्धारित किया गया है। इनमें कोई अतिव्याप्ति नहीं है। क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित हैं। वितरण और आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सामान्य प्रविष्टि कराधान शक्ति के प्रयोग से अलग है। यह अंतर एक-दूसरे को दूर से भी नहीं छूता है। सूची- ॥ की प्रविष्टि 8 पदार्थों के वितरण और आपूर्ति को विनियमित करने के लिए एक सामान्य प्रविष्टि है। उक्त प्रविष्टि अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सूची- । या सूची- ॥ में किसी भी प्रविष्टि द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं

है।

हैदराबाद केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य, एआईआर (1964) एससी 1870 में सूचित किए गए मामले में, औषधीय और प्रसाधन सामग्री की तैयारी का प्रश्न फिर से इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955, जो 1.4.1957 से लागू हुआ, के अधिनियमन से पहले, अपीलकर्ता हैदराबाद आबकारी अधिनियम के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति के तहत शराब युक्त दवाओं का निर्माण करता था। 1955 के औषधीय अधिनियम के अधिनियमन के बाद, अपीलकर्ता उस अधिनियम के दायरे में आ गया। हालाँकि, राज्य सरकार ने हैदराबाद आबकारी अधिनियम के तहत अपीलकर्ता द्वारा दवाओं के निर्माण के लिए शुल्क की मांग की। इसलिए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार हैदराबाद आबकारी अधिनियम के तहत शुल्क लेने की हकदार नहीं थी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) अधिनियम 1955 को लागू करने के बाद उक्त अधिनियम निरस्त हो गया था। प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष उठा वह यह था कि क्या औषधीय और प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) अधिनियम के लागू होने के बाद, हैदराबाद आबकारी अधिनियम के तहत बनाए गए नियम जीवित रह सकते हैं। यह माना गया कि संविधान के लागू होने से पहले हैदराबाद आबकारी अधिनियम एक सामान्य अधिनियम था। हालाँकि, संविधान के तहत, औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम प्रविष्टि 84 सूची- I के अंतर्गत आ गया, जो शराब युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री की तैयारी पर आबकारी शुल्क का प्रावधान करता है और इसलिए प्रविष्टि 84 सूची- I में शुल्क के रूप में केंद्र सरकार को छोड़कर औषधीय तैयारी के निर्माण पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता था। यह भी माना गया कि जब तक केंद्र ने औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 को अधिनियमित नहीं किया, तब तक राज्य संविधान के अनुच्छेद 277 के तहत शुल्क लेने का हकदार था। हालाँकि, 1.4.1957 से औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम

के लागू होने के साथ, राज्य शराब युक्त औषधीय तैयारी के निर्माण पर कोई शुल्क या कर्तव्य नहीं लगा सकता था। यह निर्णय, जिस पर उत्तरदाता सं. 1 और 2 द्वारा भारी भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में, हम शराब युक्त पदार्थों के उपयोग और कब्जे से संबंधित हैं जिनका उपयोग मादक पेय के रूप में किया जा सकता है। वे आबकारी शुल्क के उद्देश्यों के लिए औषधीय तैयारी हो सकते हैं, हालांकि, इन पदार्थों का उपयोग मादक पेय के रूप में भी किया जा सकता है और इसलिए, जो प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए उठता है, वह यह है कि क्या राज्य विधानमंडल इन पदार्थों के उपयोग और कब्जे को विनियमित करने का हकदार था, जिनका उपयोग 1915 के बिहार अधिनियम, यथासंशोधित, के तहत मादक पेय के रूप में किया जा सकता है। हमारे विचार में, उक्त बिहार अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II में प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 से संबंधित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिहार अधिनियम की धारा 2 (12 ए) 'मादक पदार्थ' शब्द को शराब या कोई भी पदार्थ जिससे शराब बनाई जा सकती है, या मादक दवा या औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 के तहत परिभाषित औषधीय तैयारी के रूप में परिभाषित करती है। उक्त अधिनियम के तहत, शराब को भी धारा 2(14) के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें शराब युक्त सभी तरल पदार्थ जैसे वाइन, स्पिरिट, ताड़ी और कोई भी अन्य पदार्थ जिसे राज्य अधिसूचना द्वारा शराब घोषित कर सकता है, शामिल हैं। इसलिए, 1915 का अधिनियम शराब युक्त औषधीय तैयारियों के उपयोग और कब्जे को शामिल करता है, जो विषय वस्तु 1955 के अधिनियम के दायरे में नहीं आता है।

बिहार राज्य और अन्य बनाम इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन (पी) लिमिटेड और अन्य, (2003) 11 एससीसी 465 में सूचित किए गए मामले में, उत्तरदाता कंपनियाँ बिहार मोलासेस (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक द्वारा उन्हें आवंटित शीरे से रेक्टिफाइड स्पिरिट के निर्माण में लगी हुई थीं। कंपनियों को बिहार अधिनियम 1915

के तहत अनुज्ञप्ति दिए गए थे। स्पिरिट का ऐसा निर्माण करते समय, नियंत्रक द्वारा आपूर्ति किए गए शीरे की मात्रा में कथित तौर पर कुछ नुकसान हुआ था। महालेखा परीक्षक ने अपनी प्रतिवेदन में नियंत्रक द्वारा आपूर्ति किए गए शीरे की मात्रा में पूर्वोक्त नुकसान के कारण राजस्व की हानि पाई। विभाग ने अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किए। कंपनियों को इस आधार पर दंडात्मक शुल्क की धमकी दी गई कि उन्होंने शीरे को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त शराब के निर्माण की ओर मोड़ दिया था। कंपनियों ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की। रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया। शुल्क को अपास्त कर दिया गया। राज्य ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आक्षेपित लेवी को इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की गई कि राज्य विधानमंडल शीरे के परिणाम पर शुल्क लगाने में सक्षम था। *सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (1990) 1 एससीसी 109 में सूचित किए गए इस न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेक्टिफाइड स्पिरिट या औद्योगिक शराब पर आबकारी शुल्क लगाने का हकदार नहीं था। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी रेक्टिफाइड स्पिरिट को पेय शराब के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो राज्य को शुल्क लगाने का अधिकार था, यदि उसे पता चलता कि रेक्टिफाइड स्पिरिट को पेय शराब के निर्माण के उद्देश्य से मद्यशाला से हटाया जा रहा था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, इस न्यायालय ने बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2(12 ए) के तहत 'मादक पदार्थ' शब्द; धारा 2(14) में 'शराब' शब्द और धारा 2(19) में 'स्पिरिट' शब्द की परिभाषाओं पर भरोसा किया। इन तीनों शब्दों के निर्माण पर, इस न्यायालय ने माना कि 'मादक पदार्थ' की परिभाषा का 'शराब' और 'स्पिरिट' शब्दों के साथ पढ़ा जाने वाला कुल प्रभाव यह था कि मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ पर राज्य द्वारा शुल्क लगाया जा सकता है। हालाँकि, औद्योगिक शराब के निर्माण पर राज्य द्वारा शुल्क नहीं

लगाया जा सकता है।

बिहार डिस्टिलरी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1997) 2

एससीसी 727 में सूचित किए गए मामले में, एक मद्यशाला स्थापित की गई थी। इसने अपने द्वारा उत्पादित रेक्टिफाइड स्पिरिट को बेचा। मद्यशाला को बिहार अधिनियम के तहत वर्ष 1991-1992 तक राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति मिला था। 1992 में विभाग ने अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रस्ताव रखा। मद्यशाला ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि वह रेक्टिफाइड स्पिरिट का निर्माण कर रही थी जो केंद्र सरकार के अनन्य प्रांत में आती थी। इस तर्क के साथ मद्यशाला ने इस न्यायालय से संपर्क किया। संविधान की सातवीं अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि सूची- 1 में प्रविष्टि 84 और सूची- II में प्रविष्टि 51 एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों आबकारी शुल्क का प्रावधान करते हैं। लेकिन जहाँ राज्यों को राज्य में मानव उपभोग के लिए मादक शराब और अफीम और मादक पदार्थों के उत्पादों पर आबकारी शुल्क लगाने का अधिकार है, लेकिन इसमें शराब युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री शामिल नहीं है, वहीं केंद्र को तंबाकू और अन्य सामानों पर आबकारी शुल्क लगाने का अधिकार है, सिवाय मानव उपभोग के लिए मादक शराब के। इस न्यायालय ने आगे माना कि सूची- II की प्रविष्टि 8 राज्य के भीतर मादक शराब के सभी पहलुओं को कवर करती है; इसमें उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री शामिल है। प्रविष्टि 6 सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करती है। यह मादक शराब के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का आधार प्रदान करती है। सूची- II में प्रविष्टियाँ 6, 8 और 51 को पढ़ने पर, इस न्यायालय ने माना कि जहाँ तक पेय शराब का संबंध है, वे पूरी तरह से प्रविष्टि 8 के अंतर्गत आते हैं। वे राज्य के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हैं। यह भी माना गया कि रेक्टिफाइड स्पिरिट एक औद्योगिक शराब था। राज्य के पास औद्योगिक शराब के संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। हालाँकि, न्यायालय ने टिप्पणी की कि कई मामलों में रेक्टिफाइड स्पिरिट मानव उपभोग के लिए मादक शराब या शराब युक्त शराब का एक घटक

था। इसलिए, जब तक शराब युक्त तैयारी को मानव उपभोग के लिए मोड़ा जा सकता है, तब तक राज्यों के पास ऐसे मोड़ने पर कर लगाने के साथ-साथ कानून बनाने की शक्ति होगी। यही निर्णय *वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*, (1997) 2 एससीसी 715 में सूचित किए गए मामले का भी सार है।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर *बिहार डिस्टिलरी* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि औषधीय अधिनियम, 1955 शराब युक्त आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण पर शुल्क लगाता है। हालाँकि, जब आयुर्वेदिक तैयारी को मानव उपभोग के लिए मोड़ा जाता है, तो राज्य को ऐसे उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होगी, जो कि वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम सं. 6, 1985 द्वारा किया गया है, जो सूची- II की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 से संबंधित एक कानून है।

अमेरिकन न्यायशास्त्र खंड-30 में, यह कहा गया है कि शराब के व्यापार के मामले में राज्य द्वारा नियंत्रण की शक्ति समाज के आत्म-सुरक्षा के अधिकार का एक पहलू है। यह राज्य के लोगों के स्वास्थ्य, नैतिकता और कल्याण की देखभाल के अधिकार पर निर्भर करती है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II की प्रविष्टि 6 के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। *हर शंकर और अन्य बनाम उप-आबकारी और कराधान आयुक्त और अन्य*, [1975] 1 एससीसी 737 में सूचित किए गए मामले में, इस न्यायालय ने देखा कि राज्य के पास अपनी नियामक शक्तियों के तहत मादक पदार्थों से संबंधित हर प्रकार की गतिविधि - इसके निर्माण, भंडारण, निर्यात, आयात, परिवहन, बिक्री और कब्जे - पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उपरोक्त परीक्षणों को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि बिहार अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 से संबंधित है।

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य, [1996]

3 एससीसी 709 में सूचित किए गए मामले में, इस न्यायालय ने माना कि एक बार जब

आक्षेपित अधिनियम प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 के के दायरे में आ जाता है, तो सूची-1 में किसी भी प्रविष्टि के संबंध में या सूची-111 में किसी भी प्रविष्टि के संदर्भ में बनाया गया कोई भी केंद्रीय कानून ऐसे राज्य अधिनियम की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसे मामले में "अधिकृत क्षेत्र" का तर्क पूरी तरह से बेमानी है। यदि कोई विशेष मामला राज्य विधानमंडल की अनन्य क्षमता के भीतर है, यानी सूची-11 में, तो वह संघ के लिए निषिद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह, यदि कोई मामला संघ की अनन्य क्षमता के भीतर है, तो वह राज्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन जाता है। अधिकृत क्षेत्र की अवधारणा सूची-111 में प्रविष्टियों के संदर्भ में बनाए गए कानूनों के मामले में प्रासंगिक है। सातवीं अनुसूची में सूची-111 की कई प्रविष्टियाँ केवल विधायी प्रमुख हैं और यह बहुत संभावना है कि वे अक्सर ओवरलैप होती हैं। जहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, मुद्दे को "सार और तत्व" के नियम को लागू करके हल किया जाना चाहिए। जब भी किसी विधान के टुकड़े को राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे कहा जाता है, तो किसी को यह पता लगाना चाहिए, पिथ एंड सब्सटेंस के नियम को लागू करके, कि क्या वह विधान सूची-11 में किसी भी प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। यदि ऐसा होता है, तो कोई और प्रश्न नहीं उठता; विधायी क्षमता के आधार पर हमला विफल हो जाएगा। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 246 (3) को राज्य विधानमंडल की विधायी अक्षमता के आधार पर विधान को अमान्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। एक बार जब कोई अधिनियम सार और तत्व में सूची-11 में प्रविष्टि 8 एफ से संबंधित होता है, तो यह मानने के लिए अनुच्छेद 246 (3) को नहीं लाया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल उस कानून को अधिनियमित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, दूसरी ओर, यदि प्रश्न में राज्य विधान सूची-111 में एक प्रविष्टि से संबंधित है, तो, सार और तत्व के नियम को लागू करने पर, विधान अभी भी वैध होगा, बशर्ते संसदीय अधिनियम इसके साथ असंगत न हो, एक ऐसी स्थिति जिससे अनुच्छेद 254 निपटता है। कोई भी आकस्मिक अतिक्रमण संसद के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के बराबर

नहीं है, हालांकि विधान बनाने वाले निकाय की क्षमता से परे अतिक्रमण की सीमा यह निर्धारित करने में एक तत्व हो सकती है कि क्या विधान कपटपूर्ण है। इस मामले में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आयुर्वेदिक तैयारियों का मादक पेय के रूप में उपयोग/दुरुपयोग राज्य द्वारा विनियमन और नियंत्रण का विषय बन सकता है। यह बिहार अधिनियम, 1915 का विषय है। इसलिए, राज्य अधिनियम सूची-॥ की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 से संबंधित है। राज्य कानून औषधीय अधिनियम, 1955 के विपरीत एक अलग क्षेत्र में संचालित होता है, जो सूची-। की प्रविष्टि 84 से संबंधित है। हमने दोनों अधिनियमों की योजना की जाँच की है। औषधीय अधिनियम, 1955 औषधीय और प्रसाधन सामग्री के निर्माण पर आबकारी शुल्क लगाता है। उक्त 1955 का अधिनियम एक कराधान कानून है। सूची-। की प्रविष्टि 84 एक ऐसी प्रविष्टि है जो कराधान शक्ति से संबंधित है। दूसरी ओर, सूची-॥ की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 विधान के सामान्य विषय को संदर्भित करती है। यह जनहित में पदार्थों के विनियमन और नियंत्रण को संदर्भित करती है। यह अधिनियम नागरिकों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जनहित में अधिनियमित किया गया है। इसलिए, दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में हैं। बिहार नियमों और आक्षेपित अधिसूचनाओं द्वारा औषधीय अधिनियम, 1955 के प्रावधानों में नियमों के साथ पढ़े जाने पर आकस्मिक रूप से भी कोई अतिक्रमण नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या आकस्मिक अतिक्रमण होता है, तो ऐसा अतिक्रमण विधानमंडल की कानून बनाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही इसकी वैधता को प्रभावित करेगा। [देखें: *बॉम्बे राज्य बनाम नरोत्तमदास जेठाभाई और एक अन्य* [1951] एससीआर 51 में सूचित किया गया है] *गैलाघेर बनाम लिन*, (1937) एसी 863 में प्रतिवेदित किए गए मामले में, प्रिवी काउंसिल ने माना कि यद्यपि आक्षेपित अधिनियम उत्तरी आयरलैंड के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सार और तत्व में एक

अधिनियम था और हालांकि यह आकस्मिक रूप से व्यापार को प्रभावित करता था, जो संघ सूची में आता था, राज्य कानून व्यापार के संबंध में पारित नहीं किया गया था और इसलिए उस आधार पर हमले के अधीन नहीं था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, शराब युक्त आयुर्वेदिक औषधीय तैयारी का उपयोग मादक पेय के रूप में किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे औद्योगिक शराब को मानव उपभोग के लिए मोड़ा जा सकता है। अब निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि औद्योगिक शराब का निर्माण केंद्रीय कानूनों के दायरे में आता है, हालांकि, इसका मोड़ सूची-॥ की प्रविष्टि 6 और 8 के संदर्भ में अधिनियमित राज्य कानूनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है। इसी तरह, शराब युक्त औषधीय तैयारियों के निर्माण पर शुल्क उक्त 1955 अधिनियम के अंतर्गत आएगा, हालांकि, उनका उपयोग और कब्जा राज्य कानून, जैसे उक्त 1915 अधिनियम के अंतर्गत आएगा। इसी तरह, एक दवा के रूप में शराब युक्त पदार्थ की बिक्री के लिए निर्माण उक्त 1940 अधिनियम के अंतर्गत आएगा, हालांकि, एक मादक पेय के रूप में इसका उपयोग और कब्जा राज्य कानून के अंतर्गत आएगा। दवा के उपयोग/दुरुपयोग जैसी गतिविधि का अनुज्ञप्ति और विनियमन एक बहुत बड़ी गतिविधि है जिसमें भारी व्यय शामिल होता है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए यह खुला है कि वह अनुज्ञप्ति के प्रपत्रों, शुल्कों, खुदरा बिक्री के विनियमन आदि को निर्धारित करने के लिए अपनी कुछ शक्तियों को राजस्व बोर्ड को सौंप दे। इन परिस्थितियों में, राज्य के साथ-साथ बोर्ड उक्त 1915 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 5, 19(4), 38, 39 और 90 के तहत ऐसी तैयारियों के मादक पेय के रूप में उपयोग को अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने के लिए आक्षेपित अधिसूचनाएं/संचार जारी करने में सक्षम था। इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि आक्षेपित अधिसूचनाएं/संचार उक्त 1940 अधिनियम और उक्त 1955 अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में अतिक्रमण कर गए थे।

निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह बता सकते हैं कि *सदर्न फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल्स, त्रिचुर और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य*, एआईआर (1981) एससी 1863 में प्रतिवेदित किए गए मामले में, इस न्यायालय ने वही विचार अपनाया है, जो हमने यहां ऊपर अपनाया है। उस मामले में, इस न्यायालय ने माना था कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84 के तहत संसद द्वारा औषधीय अधिनियम, 1955 अधिनियमित करके या केंद्र सरकार द्वारा शराब युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री के निर्माण पर आबकारी शुल्क की वसूली के लिए उसके तहत नियम बनाकर, एक राज्य विधानमंडल को सूची-11 की प्रविष्टि 8 के तहत मादक शराब के संबंध में कानून बनाने या मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर आबकारी शुल्क लगाने के लिए सूची-11 की प्रविष्टि 51 के तहत कानून बनाने से नहीं रोका जाता है। उस मामले में यह माना गया था कि केरल का आबकारी अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-11 की प्रविष्टि 8 और प्रविष्टि 51 के तहत कानून बनाने की राज्य की शक्ति से संबंधित है। शब्द "पर" और अभिव्यक्ति "के संबंध में" के बीच अंतर है। जब हम सूची-1 की प्रविष्टि 84 के तहत आबकारी शुल्क लगाने का उल्लेख करते हैं, तो हम "पर" शब्द पर जोर देते हैं। दूसरी ओर, जब हम सूची-11 की प्रविष्टि 8 का उल्लेख करते हैं, जो "मादक शराब" से संबंधित एक सामान्य प्रविष्टि है, तो हम एक व्यापक गतिविधि का उल्लेख करते हैं। उपरोक्त निर्णय में सूची-11 की प्रविष्टि 8 के संदर्भ में उपयोग किए गए शब्द "के संबंध में" या शब्द "के संबंध में" उपरोक्त अंतर को सामने लाते हैं। सूची-11 की प्रविष्टि 8 एक सामान्य विषय पर प्रविष्टि है, जो कराधान से संबंधित सूची-1 की प्रविष्टि 84 के विपरीत है। दोनों के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि सूची-11 की प्रविष्टि 8 के तहत राज्य कानून उपयोग, उपभोग, कब्जा, मोड़ना आदि के व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, सूची-1 की प्रविष्टि 84 के विपरीत, जो औषधीय तैयारी के निर्माण पर शुल्क से संबंधित है। यह अंतर आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की नज़र से ओझल हो गया था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष हमले के आधारों में से एक यह था कि राजस्व बोर्ड के साथ-साथ राज्य कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं थे और न ही आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सक्षम थे क्योंकि शराब युक्त आयुर्वेदिक तैयारी औषधि अधिनियम, 1940 की धारा 3 (ए) के तहत परिभाषित एक दवा थी, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III की प्रविष्टि 19 से संबंधित थी। इस संबंध में यह तर्क दिया गया था कि आक्षेपित अधिसूचनाएं औषधि अधिनियम, 1940 के साथ संघर्ष में थीं। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं मिला। औषधि अधिनियम, 1940 दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए है। धारा 3 (ए) के तहत, आयुर्वेदिक या यूनानी दवा को निदान/उपचार/शमन या बीमारियों की रोकथाम में उपयोग के लिए अभिप्रेत सभी दवाओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। औषधि अधिनियम, 1940 का अध्याय IV विशेष रूप से आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। यह आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की बिक्री के लिए निर्माण के संबंध में नियम बनाने का उल्लेख करता है। औषधि अधिनियम, 1940 के प्रावधानों को पढ़ने पर, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, यह स्पष्ट है कि जब तक आयुर्वेदिक या यूनानी दवा का उपयोग निदान/उपचार/शमन या बीमारियों की रोकथाम के लिए एक दवा के रूप में किया जाता है, तब तक गतिविधि उक्त अधिनियम के दायरे में आती है। हालांकि, औषधि अधिनियम, 1940, औषधीय अधिनियम, 1955 की तरह, दवाओं को मादक पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए मोड़ने से नहीं निपटता है, जिस विषय पर बिहार अधिनियम, 1915 द्वारा निपटा जाता है, जो शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति जारी करके ऐसे उपयोग, कब्जे और उपभोग को विनियमित करता है। इसलिए, राज्य और बोर्ड आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सक्षम थे।

मामले का अगला भाग राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और प्रभारित शुल्क की दर के कुछ के बदले कुछ के प्रश्न से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया कि अनुज्ञप्ति के

अनुदान के लिए विक्रय शुल्क का सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ कोई संबंध या सह-संबंध नहीं था। इस बिंदु पर, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में माना कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि शुल्क को कुछ काम करने के लिए अलग रखा गया था। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि शुल्क सार्वजनिक राजस्व में विलय नहीं हुआ था और इसलिए बिहार राज्य शुल्क या निश्चित भुगतान के रूप में कोई राशि वसूलने का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय के अनुसार, राज्य शुल्क या निश्चित भुगतान के आड़ में कर/आबकारी शुल्क लगाने की कोशिश कर रहा था, जो नहीं किया जा सकता था क्योंकि राज्य औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर आबकारी शुल्क लगाने में सक्षम नहीं था, जो पहले से ही 1955 अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुल्क के अधीन हैं। उच्च न्यायालय के अनुसार उन्हीं उत्पादों पर दोहरा कराधान नहीं लगाया जा सकता। उच्च न्यायालय का तर्क त्रुटिपूर्ण है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य आयुर्वेदिक तैयारियों के उपयोग और कब्जे के संबंध में एक कानून बनाने में सक्षम था जिसमें मादक पेय के रूप में शराब शामिल थी। ऐसी गतिविधि के विनियमन और नियंत्रण के हिस्से के रूप में, राज्य निर्माताओं को शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए बुलाने का हकदार था। राज्य को ऐसी गतिविधियों के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित खर्च वहन करना पड़ता है। इसलिए, आक्षेपित अधिसूचना के तहत निर्माताओं द्वारा देय और प्रभार्य शुल्क विनियामक शुल्क की प्रकृति में है, जिसके लिए कुछ के बदले कुछ आवश्यक नहीं है। हम शुल्क की दर को भी उचित पाते हैं।

वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1997] 2 एससीसी 715 में सूचित के मामले में, विनियामक शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। यह माना गया था कि विनियामक शुल्क और प्रतिपूरक शुल्क के बीच एक अंतर है। विनियामक शुल्क के मामले में, जैसे अनुज्ञप्ति शुल्क, कुछ के बदले कुछ का अस्तित्व आवश्यक नहीं है,

हालांकि ऐसा शुल्क अत्यधिक नहीं होना चाहिए। बिहार अधिनियम के तहत गतिविधियों की निगरानी में शामिल कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हम इस विचार पर हैं कि आक्षेपित अधिसूचना में उल्लिखित शुल्क उचित और सही है।

इसी प्रकार, *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सीतापुर पैकिंग वुड सप्लायर्स और अन्य*, [2002] 4 एससीसी 566 में सूचित के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि कुछ के बदले कुछ का प्रश्न तब आवश्यक है जब शुल्क प्रतिपूरक हो, हर शुल्क के बदले कुछ आवश्यक नहीं है। विनियामक शुल्क के मामले में सेवा प्रदान करने के तथ्य को स्थापित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए, इस आधार पर विनियामक शुल्क को अमान्य करने का कोई प्रश्न नहीं है कि कुछ के बदले कुछ स्थापित नहीं किया गया है।

अगला बिंदु जो निर्धारण के लिए उठता है वह यह है कि क्या आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत लगाया गया शुल्क संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है। हमने माना है कि आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत लगाया गया शुल्क प्रकृति में विनियामक है। *कर्नाटक राज्य और एक अन्य बनाम मेसर्स हंसा कॉर्पोरेशन*, [1980] 4 एससीसी 697 में सूचित, के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि यदि कोई उपाय प्रकृति में विनियामक है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत चुनौती से मुक्त होगा। इन परिस्थितियों में, आक्षेपित अधिसूचनाओं के तहत शुल्क लगाने से अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं होता है, जैसा कि आक्षेपित निर्णय द्वारा माना गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आक्षेपित अधिसूचनाओं को उत्तरदाता सं. 1 और 2 द्वारा भेदभाव के आधार पर चुनौती दी गई है। उत्तरदाताओं ने आक्षेपित अधिसूचनाओं को इस आधार पर चुनौती दी है कि वे यूनानी औषधीय तैयारी के बजाय केवल आयुर्वेदिक तैयारी के उपयोग और कब्जे को विनियमित और नियंत्रित करना चाहते हैं और इसके परिणामस्वरूप आक्षेपित अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। हम इन तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। *गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम श्री अंबिका*

मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और एक अन्य, [1974] 4 एस.सी.सी. 656 में सूचित, के मामले में, न्यायमूर्ति मैथ्यू ने न्यायालय की ओर से कहते हुए बताया कि वर्गीकरण कानून में निहित है। अनुच्छेद 14 में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि प्रत्येक विनियामक कानून एक ही व्यवसाय में सभी पर लागू होना चाहिए : जहां आकार एक सूचकांक है, बड़े और छोटे के बीच भेदभाव की अनुमति है, और सुधार के लिए एक बार में एक कदम उठाने की भी अनुमति है। *अहमदाबाद शहर के नगर निगम और अन्य बनाम जान मोहम्मद उस्मानभाई और एक अन्य*, [1986] 3 एस.सी.सी. 20 में सूचित, के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को निषिद्ध करता है, वह विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को निषिद्ध नहीं करता है और अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो उन व्यक्तियों या वर्ग को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहबद्ध हैं और दूसरी बात यह है कि इस तरह के अंतर का उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में कानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधायिका नुकसान की सीमा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को स्पष्ट माना जाता है। वर्तमान मामले में, परीक्षण के आधार पर, पहली बार में शराब युक्त आयुर्वेदिक दवाओं को अनुज्ञप्ति देने और विनियमित करने के लिए एक प्रयोग का प्रयास किया जाता है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है।

चूँकि हमने सूची-II की प्रविष्टि 6 के साथ पठित प्रविष्टि 8 के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया है कि बिहार विधानमंडल 1915 के अधिनियम को संशोधित रूप में अधिनियमित करने के लिए सक्षम था, इसलिए विनिर्माताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं है कि बिहार अधिनियम, 1915 की धारा 2 (12 ए) ने शक्ति का

कपटपूर्ण प्रयोग किया है।

निष्कर्ष निकालने से पहले, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि, राज्य एक अवधि तय करेगा जिसके भीतर निर्माता आक्षेपित अधिसूचनाओं/संचार सं. 2/23-3-88/1,2/23-3-88/2, और 2123-3-8813, सभी दिनांक 3 अगस्त, 1988 के संदर्भ में शुल्क (बकाया सहित) के भुगतान पर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे। इस अवधि के दौरान उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हालांकि, यदि निर्माता निर्धारित अवधि के भीतर आक्षेपित अधिसूचनाओं/संचार का पालन करने में विफल रहते हैं, तो राज्य सरकार, ऐसी अवधि समाप्त होने पर, निर्माताओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की हकदार होगी।

ऊपर बताई गई बातों के आधार पर, अपील स्वीकार की जाती हैं और 1988 का सीडब्ल्यूजेसी सं. 7865, 7191, 7219, 8294 और 7864 में पारित दिनांक 23.10.1989 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। हम बिहार आबकारी अधिनियम, 1915 की वैधता के साथ-साथ सभी दिनांक 3.8.1988 की आक्षेपित अधिसूचनाओं/संचार की वैधता को बरकरार रखते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन. जे.

अपील की अनुमति दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।